27/7/2017 पत्रावली प्राप्त हुई। गैर साधन आवगुर इतना
गैर आबाद। पत्रावली का अवलोकन किया
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
मेड़ास में मौजा लाउवा के ख०न० 612 रकबा 50 बीघा
फीट किस्म भूमि में गु० रास्ता पर सम्वत 2074 को
कपा राम पुत्र बालूराम लोग आए कि बासी मौजा के
विरुद्ध नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में की रिपोर्ट
पेश कि गई जिस पर दस्त-अन्दाज में नायाब तहसीलदार
अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सर्वे करवा कर
गैर साधन के विरुद्ध LRA 1956 की धारा
91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैर साधन
उप० हुआ एवं सुना गया। गैर साधन को पुनः
अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर प्रदान कर समय दिया गया
आवगुर इतना गैर साधन अतः रा ऐसी हैसियत
गैर किस्म राजस्व में मौजा लाउवा के ख० न०
612 रकबा 50 बीघा भूमि गु० रास्ता पर अतिक्रमण
करने के अपराध प्रमाणित किया जाकर नायाब
तहसीलदार गु० रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को मौखिक
रूप से बेदखल करने एवं जुर्माने के चालान का
पत्रावली गुना जुर्माना राशि 2,-(दो रुपये मात्र) कायम
किये जाते हैं। पटवारी हल्का मेड़ास को मौखिक
बेदखली एवं जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा
जाकर पत्रावली जुर्माना राशि की मांग हेतु दी जाए।
इसे पढ़ कर सुनी गयी पत्रावली पेश एक शुमार
होकर निकट से कम होने निर्णय आज दिनांक
27/7/2017 को खुले-अदालत में सुनाया गया।

तहसीलदार, सिवांची
(बाड़मेर - राजस्थान)